न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

349

निगरानी 256-III-15

13-1-15

Rs. 20/-

1- मुस0 कृष्णावती बेबा पत्नी कैलाशराम ब्रा0

2- आशुतोष कुमार

3- बृजेश कुमार

4- कमलेश प्रसाद

5- मनोज कुमार

6- विनय कुमार सभी के पिता कैलाशराम ब्रा0 सा0 बरहवाटोला, तहसील देवसर, जिला-सिंगरौली म0प्र0

7- ओम प्रकाश पिता आजादराय ब्रा0 निवासी ग्राम-बौगिया, तहसील-देवसर, हाल निवासी ग्राम-भेलकी, थाना-चुरहट, जिला-सीधी म0प्र0

----**निगरानीकर्तागण/आवेदकगण**

बनाम्

महेश प्रसाद तिवारी पिता श्री राम तिवारी निवासी ग्राम-बरहाटोला, तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म0प्र0

——— **उत्तरवादी/अनावेदक**

श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री, एड0 द्वारा आज दिनांक 13-01-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4394
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ...-1-15 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर के राजस्व प्रकरण कमांक-37/अपील/14-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-12-14

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निम्न आधारों पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:-

निगरानी के तथ्य इस प्रकार है-

1- यह कि ग्राम बरहाटोला, तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली, म0प्र0 में स्थित भूमि खसरा कमांक-112 का प्लाट

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक—निगरानी—256—तीन / 2015 जिला—सीधी

मुस कृष्णावती आदि विरूद्ध महेश प्रसाद तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 37 / अपील / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 23—12—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 11.3.19 सदस्य	